

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/3-पीपीपीएल टैरिफ(1)/2012 Vol-IV (पी-1018) – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में और संशोधन करके एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :-

1. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
2. ये दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे।

2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम 4 में दसवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

“बशर्ते संक्रमणकालीन 30.09.2020 तक की विस्तारित संक्रमण अवधि भी पूर्ण होने के पश्चात 30.9.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए।”;

(ख) विनियम 5 में नौवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

“बशर्ते इस विनियम के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण के लिए भी रेलवे की माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020 के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अवधि में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधन होता है तो बोर्ड विचारकर सकता है तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन बेंचमार्क पर निर्णय ले सकता है।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./259/2020-21]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 987(अ), दिनांक 20.12.2010 को अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012, दिनांक 13.12.2012, फा. सं. पीएनजी आरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 16.12.2014, फा. सं. एल/विविध/IV/1/2007, दिनांक 01.01.2015, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2016, दिनांक 19.12.2016, फा. सं. पीएन जीआरबी/एम(सी)/62/2017, दिनांक 19.12.2017, फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2018, दिनांक 18.12.2018, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2019, दिनांक 18.04.2019, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020, दिनांक 19.02.2020, फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020, दिनांक 27.03.2020 और फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020, दिनांक 30.06.2020 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 2020

F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-IV (P-1018).—In exercise of the powers

conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, namely : -

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Fourth Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on 1st October, 2020.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, –

(a) in regulation 4, after the tenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the transitional period may on the completion of the extended transition period till 30.09.2020, be further extended up to, and inclusive of, 30.09.2021”;

(b) in regulation 5, after the ninth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the determination of the petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff under this regulation shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Fourth Amendment Regulations, 2020 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty.259/2020-21]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R 987(E), dated 20.12.2010 and subsequently amended *vide* F.No. PNGRB/M(C)/62/2012, dated 13.12.2012, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 16.12.2014, F.No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015, F.No. PNGRB/M(C)/62/2016, dated 19.12.2016, F. No. PNGRB/M(C)/62/2017, dated 19.12.2017, F.No. PNGRB/M(C)/62/2018, dated 18.12.2018, F.No. PNGRB/M(C)/62/2019, dated 18.04.2019, F.No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 19.02.2020, F.No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 27.03.2020 and F.No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 30.06.2020.